उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1964

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1964}

THE UTTAR PRADESH PASHUDHAN SUDHAR ADHINIYAM, 1964

[U. P. ACT NO. XVIII OF 1964]

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1964[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1964}

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 दिसम्बर, 1963 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 अगस्त, 1964 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 24 अगस्त, 1964 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 अगस्त, 1964 ई0 को प्रकाशित हुआ ।}

उत्तर प्रदेश में पशुधन के सुधार की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1964 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति[2] द्वारा नियत करें, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2–– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में ––

(क) ''अनुमोदित सांड'' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन प्रमाणित तीर दागे गये सांड से है ;

(ख) ''सांड'' का तात्पर्य गाय या भैंस के ऐसे नर संतति (male progeny) से है, जो बधिया न किया गया हो और जिसकी अवस्था दो वर्ष से कम न हो ;

(ग) सांड के संबंध में ''बधिया करना'' का तात्पर्य उसे अपनी जाति की प्रजनन शक्ति से वंचित करना है ;

(घ) ''निदेशक'' का तात्पर्य पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत पशुपालन अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश भी है ;

(ङ) सांड के संबंध में ''पालने'' का तात्पर्य सांड के स्वामी होने से अथवा तत्समय उस पर कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखने से है ;

(च) ''पशुपालन अधिकारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र के संबंध में पशुधन अधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है ; और

(छ) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ।

अनुमोदित सांड पालने का निषेध

3–– इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये कोई भी व्यक्ति ऐसा सांड नहीं पालेगा, जो अनुमोदित सांड न हो ।

1. उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिये 2 दिसम्बर, 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

2. विज्ञप्ति संख्या 22/12–ई–27/55 दिनांक 1 जून, 1965 के अधीन दिनांक 1 अक्टूबर, 1965 से उक्त अधिनियम मेरठ जिले की निम्नलिखित तहसीलों में लागू है :

1 मोआना।
2 बागपत।
3 मेरठ।

{उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1964} {धारा 4–7}

4–– (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त सांडों की नस्लों और वर्गों की घोषणा कर सकती है । सांडों की उपयुक्त नस्लों या वर्गो की घोषणा

(2) उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी करते समय सरकार, उस क्षेत्र में सभी नस्लों और वर्गो के उपलभ्य सांडों की संतति से प्राप्त होने वाले दुग्ध की मात्रा और उनकी उपयुक्तता तथा ऐसी नस्लों और वर्ग के सांडों की, जिन्हें उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित करने का प्रस्ताव हो, पर्याप्त संख्या में उपलब्धता और ऐसे अन्य विषयों पर, जिन्हें वह संगत समझे, विचार करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन घोषित करने के पूर्व सरकार गजट में प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकाशित करायेगी, जिसमें वह सम्बद्ध क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित किये जाने वाले प्रस्तावित सांडों के वर्गों और नस्लों को निर्दिष्ट करेगी और प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्रारम्भिक विज्ञप्ति के अनुमत समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।

5–– पशुधन अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति से, जो अनुमोदित सांड पालता हो, निरीक्षण के लिये सांड को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और तदुपरान्त वह व्यक्ति उसे निरीक्षण के लिये ऐसे दिनांक पर और ऐसे समय तथा स्थान पर प्रस्तुत करेगा, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायें : निरीक्षण के लिये सांडों को प्रस्तुत करना

प्रतिबंध यह है कि निरीक्षण उसी ग्राम अथवा नगर में होगा जिसमें सांड पालने वाला व्यक्ति सामान्यतया रहता हो ।

6–– यदि सांड का निरीक्षण करने पर, पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सांड प्रजनन प्रयोजनों के काम में लाये जाने योग्य है और–– सांडों को प्रमाणित करना और दागना

(क) वह दोषपूर्ण या संरूप (conformation) का नहीं है ; या

(ख) असाध्य प्रकार के ऐसे सांसर्गिक या संक्रामिक रोग से या किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है, जिससे कि सांड जनन प्रयोजनों के लिये उपयुक्त हो जाये ; और

(ग) उक्त क्षेत्र के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति कर दिये जाने की दशा में वह ऐसी नस्लया वर्ग का नहीं है, जो उक्त क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित न किया गया हो––

तो वह सांड को अनुमोदित सांड के रूप में प्रमाणित करेगा और तदर्थ चिन्ह से उसे दगवायेगा।

7–– (1) यदि निरीक्षण करने पर, पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि कोई सांड धारा 6 के अधीन प्रमाणित किये जाने पर कि सांड धारा 6 के अधीन प्रमाणित किये जाने या दागे जाने के उपयुक्त नहीं है तो वह लिखित आज्ञा द्वारा, सांड़ पालने वाले व्यक्ति को वह निदेश देगा कि–– उन सांडों का बधिया किया जाना जो अनुमोदन के लिए अयुक्त हों

(1) उक्त धारा के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाली अयोग्यता की दशा में वह सांड़ को ऐसी अवधि में बधियां करा ले, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय।

(2) उक्त धारा खण्ड (ग) क अन्तर्गत आने वाली किन्तु खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत न आने वाली अयोग्यता की दशा में, उसे या तो निषिद्ध क्षेत्र से दूर हटा दे या ऐसी अवधि के भीतर बधिया करा ले जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय।

(2)(क) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी को और ऐसी रीति से अपील कर सकता है, जो नियत की जाय और अपील पर दी गई आज्ञा अन्तिम तथा बन्धनकारी होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरूद्व अपील की गई हो, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेगें, उक्त अवधि के पश्चात् अपील ग्रहण करना उचित न समझे ;

(ख) वह प्राधिकारी, जिसके समक्ष अपील विचाराधीन हो ऐसी अन्तरिम आज्ञा दे सकता है जो वह उचित और इष्टकर समझे।

(3) बधिया करने का कार्य पशुधन अधिकारी करेगा या करायेगा, जब तक कि सांड का स्वामी या उसे पालने वाला अन्य व्यक्ति आज्ञा का अनुपालन करने के लिए स्वयं अपना प्रबन्ध करने की इच्छा प्रकट न करे।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा अन्तिम हो जाय किन्तु अनुमत समय के भीतर उसका अनुपालन न किया जाय, तो पशुधन अधिकारी धारा 13 के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सांड़ को अभिगृहीत और उसे बधिया करा सकता है।

स्पष्टीकरण–– इस धारा में सांड़ के सम्बन्ध में ''निषिद्ध क्षेत्र'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसके सम्बन्ध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति कर दी गई हो और जिसके लिए ऐसा सांड़ उपयुक्त घोषित न किया गया हो।

अस्वाभाविक सांडों का बधिया किया जाना और उनकी अभिरक्षा

8–– (1) यदि पशुधन अधिकारी को नियत रीति से जांच करने के पश्चात् यह प्रतीत हो कि सांड़ किसी ज्ञात व्यक्ति द्वारा पाला नहीं गया है, तो वह उसे अभिगृहीत करायेगा और उसका निरीक्षण करेगा।

(2) यदि उक्त निरीक्षण करने पर उसे यह प्रतीत हो कि सांड, अनुमोदित सांड के रूप में प्रमाणित किए जाने और दागे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह उसे बधिया कराएगा।

(3) पशुधन अधिकारी, किसी व्यक्ति के सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में सांड के सम्बन्ध में अपना स्वत्व स्थापित करने के अधिकार के अधीन रहते हुए, सांड़ को किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसी रीति से या ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर दे सकता है जो नियत किए जायें।

अनुपयुक्त होने पर अनुमोदित सांडों का बधिया किा जाना

9–– यदि पशुधन अधिकारी को किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि अनुमोदित सांड़ को असाध्य प्रकार का सांसर्गिक या सांक्रामिक रोग हो गया है, या वह अनुमोदित सांड के रूप में काम करने के लिए अन्यथा अनुपयुक्त हो गया है तो वह उक्त सांड के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही कर सकता है मानो वह अनुमोदित सांड़ हो और ऐसी कार्यवाही पर धारा 5, 6 और 7 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

पशुधन अधिकारी का प्रदेश और निरीक्षण करने का अधिकार

10–– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पशुधन अधिकारी को और ऐसे व्यक्ति को, जिससे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता देने की अपेक्षा करे, यह अधिकार होगा कि वह किसी भी उचित समय पर ––

(क) सांड का निरीक्षण करे; और

(ख) यदि कोई शर्तें नियत की जायें तो ऐसी शर्तों के अधीन किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करे जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि सांड पाला जा रहा है।

रजिस्टरों का रखा जाना

11–– पशुधन अधिकारी ऐसे रजिस्टरों को रखेगा या रखवाएगा, जिनमें सांडों के निरीक्षण, बधिया किए जाने, प्रमाणीकरण और दागे जाने के विवरण तथा ऐसी अन्य सूचनायें दी जायेंगी, जो नियत की जायें।

12—— यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह सदृश्य किसी चिन्ह से, जिसका अभिप्राय धोखा देना हो अथवा जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि उस सदृश्य चिन्ह द्वारा धोखा दिया जायगा, किसी सांड को दागता है अथवा दगवाता है तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा, जो तीन मास तक हो सकता है या अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों दिए जा सकते हैं। — अनधिकृत चिन्हांकन के लिए शास्ति

13—— इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या दी गई आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो एक सौ रूपए तक हो सकता है। — इस अधिनियम के उपबन्धों आदि का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

14—— जब तक कि पशुधन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत न किया जाय तब तक कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा। — अपराधों का संज्ञान

15—— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक वयक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी, तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा : — कम्पनियों द्वारा अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा ओर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—— इस धारा के प्रयोजनों के लिए——

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

16—— इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गए अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत नहीं किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी। — सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

17—— (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है। — नियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार का व्यापतकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती हैः—

(क) पशुधन अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी अर्हताएं;

(ख) चिन्ह जिससे और रीति, जिसके अनुसार सांड़ को अनुमोदित सांड के रूप में दागा जायगा;

(ग) प्राधिकारी जिसे और रीति, जिसके अनुसार धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अपील की जा सकता है;

(घ) रीति जिसे अनुसार और शर्तें तथा प्रतिबन्ध, जिन पर सांड धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया जा सकता है ;

(ङ) शर्तें, जिनका पालन करने पर धारा 10 के अधीन किसी स्थान में प्रवेश किया जा सकता है ;

(च) पशुधन अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और उनमें दर्ज की जाने वाली सूचना ;

(छ) रीति, जिसके अनुसार कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच, अपील की सुनवाई और निस्तारण या अन्य कृत्यों का सम्पादन कर सकता है ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश क तामील करने की रीति ; और

(झ) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाता हो या नियत किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुछ चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

THE UTTAR PRADESH PASHUDHAN SUDHAR ADHINIYAM, 1964[1] [U. P. ACT No. XVIII OF 1964]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 11, 1963 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 4, 1964.

Received the assent of the Governor on August 24, 1964 under Article 200 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated August 26, 1964.]

AN

ACT

to provide for the improvement of livestock in Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fifteenth year of the Republic of India as follows :

Short title, Adhiniyam, extent and commencement

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Pashudhan Sudhar 1964.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification[2] in the Gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh.

Definitions

2- In this Act, unless there is any thing repugnant in the subject or context --

(a) "approved bull" means a bull certified and branded under section 6 ;

(b) "bull" means an uncast rated male progeny of a cow or buffalo, not less' than two years of age ;

(c) "castrate" in relation to a bull means, to deprive it of the power

of propagating its species;

(d) "Director" means the Director of Animal Husbandry, Uttar Pradesh, and includes an Additional Director of Animal Husbandry, Uttar Pradesh ;

(e) "keep" in relation to a bull means, to own a bull or to have control, possession or custody thereof for the time being;

(f) "Livestock Officer" means an "officer appointed by the State Government to perform in relation to any area the functions of Livestock Officer under this Act ; and

(g) "prescribed' means prescribed by rules made under this Act.

Prohibition of keeping un-approved bull

3- Except as provided by or under this Act, no person shall keep a bull which is not an approved bull.

2-Under Notification No. 2266/XVII-E-27-55. dated June 1, 1965 the said Act Came into force w. e. f. October I, 1965 In the following Tahsils of district Meerut :-
1.Mowana .
2.Baghpat.
3.Meerut.

Declaration of suitable breeds classes of bulls

4- (1) The State Government may, by notification in the Gazette, declare in relation to any area the breeds and classes of bulls suitable for that area.

(2) In making a notification under sub-section (1) the Government shall take into consideration the milk-yield and serviceability of the progeny of all the breeds and classes of bulls available in the area, the availability of sufficient number of bulls of the breed or class proposed to be declared suitable for that area, and such other matters as it may consider relevant.

(3) Before making a declaration under sub-section (1) the Government shall cause to be published in the Gazette a preliminary notification specifying the classes and breeds of bulls proposed to be declared suitable for the area concerned and inviting objections to the proposals, and take into consideration objections, if any, filed within the time allowed therefore in the preliminary notification.

Production of bulls for inspection and

5- The Livestock Officer may require, by an order in writing, any person keeping a bull which is not an approved bull to produce the bull for inspection and thereupon the person shall produce the same for inspection on such date and at such time and place as may be specified in the order :

Provided that the inspection shall take place in the village or town in which the person keeping the bull normally resides.

Certification and branding of bulls

6- Where on inspection of a bull, the Livestock Officer is satisfied that the bull is capable of being used for breeding purposes and is not-

(a) of defective or inferior conformation ;

(b) suffering from a contagious or infectious disease of an incurable character or from any other disease rendering the bull unsuitable for breeding purposes ; or

(c) in case of a notification having been made under sub-section (1) of section 4 in relation to the area, of a breed or class not declared to be suitable for that area.

he shall certify the bull as an approved bull and cause it to be branded with a mark prescribed in this behalf.

Castration of bulls 7- not fit unfit for approval writing, direct

(1) Where on inspection, the Livestock Officer is satisfied that a bull is for being certified and branded under section 6, he shall, by order in the person keeping the bull-

(i) in case of a disability covered by clause (a) or (b) of that section, to have the bull castrated within such period as may be specified in the order ;

(ii) in case of a disability covered by clause (c) and not covered by clause (a) or (b) of that section, to either remove the bull beyond the prohibited area or have it castrated within such period as may be specified in the order.

(2) (a) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may appeal to such officer and in such manner as may be prescribed, and the order passed on the appeal shall be final and binding:

[The Uttar Pradesh Pashudhan Sudhar Adhiniyam, 1964] [Section 8-11]

Provided that no appeal may be entertained after the expiry of thirty days from the date of the order appealed against, unless the appellate authority for reasons to be recorded, considers it proper to entertain the appeal after the said period;

(b) The authority before which an appeal is pending may pass such interim orders as it considers just and expedient.

(3) The castration shall be performed or caused to be performed by the Livestock Officer, unless the owner or other person keeping the bull desires to make his own arrangements for complying with the order.

(4) When an order under sub-section (1) has become final but has not been complied with within the time allowed therefor the Livestock Officer may without prejudice to any action that may be taken under section 13, cause the bull to be seized and castrated.

Explanation -In this section, "prohibited area", in relation to a bull, means the area in respect of which a notification has been made under sub-section (1) of section 4 and for which such bull has not been declared to he suitable.

Castration and custody of to unclaimed bills 8-

(1) If the Livestock Officer, after making an enquiry in the prescribed manner, finds that a bull is not kept by any known person, he shall cause it be seized and shall inspect it.

(2) If on such inspection he finds that the bull is not fit for being certified sud branded as an approved bull, he shall have it castrated.

(3) The Livestock Officer may, subject to the right of any person to establish his title to the bull in a court of competent jurisdiction, give the bull into the custody of any person in such manner or on such terms and conditions as he may deem fit in accordance with the rules made in this behalf.

Castration of 9- approved approved bulls character on becoming may proceed unfit of

If the Livestock Officer at any time has reason to believe that an bull has contracted a contagious or infectious disease of an incurable or has otherwise become unfit to function as an approved bull, he

in respect of the bull as if it were an unapproved bull, and the provisions section 5, 6 and 7 shall mutatis mutandis apply to such proceeding.

Power of the Livestock reasonable Officer to enter and inspect

10- The Livestock Officer or any person required by him to assist him in performance of his functions under this Act shall have power at all times-

(a) to inspect a bull; and

(b) subject to such conditions, if any, as may be prescribed to enter any place where he has reason to believe that a bull is kept.

Maintenance of registers branding

11- The Livestock Officer shall maintain or cause to be maintained such registers giving particulars of inspection, castration, certification and of bulls and such other information as may be prescribed.

[The Uttar Pradesh Pashudhan Sudhar Adhiniyam, 1964] [Section 12-17]

Penalty for unauthorized such marking deception shall with

12- If any person without lawful authority brands or causes to be branded any bull with any mark prescribed under this Act or with a mark resembling prescribed mark, intending by means of that resemblance to practice or having reason to believe that deception shall be practiced thereby, he be punishable with imprisonment which may extend to three months or fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

Penalty for contravention hundred of the provisions of this Act, etc.

13- Whoever contravenes any provision of this Act or any rule or order made thereunder shall be punishable with fine which may extend to one rupees.

Cognizance of offences in this

14- No court shall take cognizance of an offence under this Act except upon a complaint made by a Livestock Officer or any person authorized by him behalf.

Offences by companies company offence proceeded

15- (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to, the for the conduct of its business at the time of the commission of the shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation- For the purposes of this section-

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "Director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection of action taken in good faith

16- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against an officer or servant of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any provision of this Act or any rule or order made thereunder.

Power to make rules

17- (1) The State Government may, by notification in the Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for :-

(a) the appointment of Livestock Officers and their qualifications ; -

(b) the mark with which and the manner in which a bull shall be branded as an approved bull ;

(c) the authority to which and the manner in which an appeal may be made under sub-section (2) of section 7 ;

(d) the manner in which and the terms and conditions on which a bull may be given in the custody of any person under sub-section (3) of section 8 ;

(e) the condition subject to which an entry into a place may be made under section 10 ;

(f) the registers to be maintained by a Livestock Officer and the information to be contained therein;

(g) the manner in which an officer may make an inquiry, hear and dispose of an appeal or perform other functions, under this Act;

(h) the manner of service of any order under this Act; and

(i) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act, shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed by the State Government, take effect, from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.